संख्या- 18/2021/46/22-4-2021-48(17)/19

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 18 फरवरी, 2021

विषय- प्रदेश की कारागारों के कृषि फार्मो के लिए ट्रैक्टर, हाइडोलिक ट्राली एवं कृषि उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25943/कृषि-1(2)/131/कृषि उपकरण/2020-21, दिनांक 19.10.2020 एवं पत्र संख्या-867/कृषि-1(2)/कृषि उपकरण/202, दिनांक 14.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जिला कारागार मेरठ के लिए 01 नग सोनालिका ट्रैक्टर (डीआई-745।।। पावर प्लस 47.17) के कय्र हेतु रू0-5,22,370/-, प्रदेश की 09 कारागारों क्रमशः केन्द्रीय कारागार आगरा, फतेहगढ, जिला कारागार आगरा, उन्नाव, सुल्तानुपर, गोरखपुर, बाराबंकी, गोण्डा एवं मऊ के लिए कृषि उपकरणों हेतु रू0 28,13,163/- एवं 06 हाइडोलिक ट्राली के क्रय हेतु रू0 14,70,000/- तथा विगत वर्ष क्रय किये गये 06 ट्रैक्टरों के टान्सपोंटेशन की लम्बित देयता के भुगतान हेतु रू0 52,019/- अर्थात कुल धनराशि रू0-48,57,552/- (रूपया अडतालिस लाख सत्तावन हजार पॉच सौ बावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम **उद्यम** विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादशों के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लस (जैम) के माध्यम से किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त ट्रैक्टर/उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब ट्रैक्टर/उपकरणों की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत संख्या एवं धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणों का क्रय न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-26-समस्त कारागार-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-431/दस/2021, दिनांक-15 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2021/46(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।